जीरो पेंडेन्सी के साथ राजस्थान विधानसभा को देश की आदर्श विधानसभा बनाये : देवनानी

■ 'व्यावहारिक कठिनाई बताएं और सदन चले तब अधिकारी बैठे दीर्घा में और परिणामदायक कार्य करें'

■ 20 जनवरी तक सभी लम्बित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण और विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के जवाब आवश्यक रूप से भेजे जाने के निर्देश दिये देवनानी ने

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा आमजन की समस्या के समाधान का सशक्त प्लेटफार्म है। विधायकों द्वारा जन समस्याओं के संबंध में उठाये गये मुद्दों के निराकरण विधानसभा के पवित्र सदन में होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी समस्याओं के निराकरण करने में सहयोगी बने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। देवनानी का मानना था कि मिशन के रूप में कार्य करने से ही राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे सकेगा। देवनानी ने कहा कि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, लेकिन अभी और अधिक बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। देवनानी शुक्रवार को यहां विधानसभा में लम्बित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों एवं याचिकाओं के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

विधानसभा के लम्बित प्रश्नों पर अध्यक्ष देवनानी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारियों की विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

देवनानी ने कहा कि प्रश्नों के जवाब लम्बे समय तक विधानसभा को प्राप्त नहीं होना चिन्ता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि विधानसभा के प्रश्नों के जवाब समय सीमा में भेजा जाना सुनिश्चित करें। यह महत्वपूर्ण कार्य है। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र से पहले 20 जनवरी तक सभी प्रश्नों के जवाब विधानसभा को आवश्यक रूप से भेजे। देवनानी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास विभाग और गृह विभाग का नाम प्रमुखता से लेकर कहा कि इन विभागों में विधानसभा के प्रकरण अधिक संख्या में लम्बित है।

देवनानी ने कहा कि इन विभागों को प्राथमिकता से गम्भीर होकर विधानसभा के मामलों का निस्तारण समय सीमा में करना होगा। देवनानी अधिक प्रश्नों के बकाया जवाबों वाले विभागों के अधिकारियों से रूबरू हुए और उनसे प्रश्नों के जवाब नहीं आने के कारणों की जानकारी ली। देवनानी ने कहा की विधानसभा की समितियों की कार्यवाही को भी प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से लें ताकि ऑडिट पैराओ पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई हो सके। देवनानी ने कहा कि अधिकारी विधानसभा से संबंधित मामलों में इस तरह की मॉनिटरिंग करें की लम्बित प्रश्नों के मामले में उन्हें भविष्य में अन्य बैठक बुलाने की आवश्यकता ही ना हो। जनहित के मामलों का निस्तारण विधानसभा में समय सीमा में कराया जाना सशक्त लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।

देवनानी ने कहा कि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के मामले में विभाग के अधिकारियों के साथ कैम्प लगाकर युद्ध स्तर पर कार्य निस्तारण की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यह गभीर मामले हैं, इन्हें समय से निर्णित किया जाना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि इन मामलों में कोई समस्या है तो बताये और उसके साथ ही समस्या के निराकरण के मार्ग भी सुझाये, ताकि परिणामदायक कार्य हो सके। देवनानी ने कहा कि अधिकारी विधानसभा के प्रति संवेदनशील बने। सदन में 200 विधायकगण बैठते हैं। राज्य सरकार भी यहां राज्य कार्यों को सम्पादित करती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विधानसभा को गम्भीरता से ले। अधिनस्थ अधिकारियों की कार्य व्यवस्था को प्रभावी बनाये और परिणाम देने वाला परिश्रम करें।

देवनानी ने कहा कि विधानसभा में राज्य के निगमों, बोर्ड आदि के प्रतिवेदन समय पर नहीं आते हैं। यह ठीक नहीं है। इसे गम्भीरता से ले और जिम्मेदारी तय करें। देवनानी ने अधिकारियों से पूछा कि प्रश्नों के जवाब भेजने में क्या कठिनाई है? क्यों प्रश्नों के जवाब लम्बित रहते है। किस स्तर पर विधानसभा के कार्यों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पीडा है कि प्रश्नों के जवाब निर्धारित समय सीमा में नहीं आ रहे है। देवनानी ने कहा कि प्रत्येक विभाग में विधानसभा प्रकोष्ठ संचालित होने के बावजूद भी प्रश्नों के जवाब नहीं आना दु:खद है।

देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार और विधानसभा के कार्यों का उद्देश्य एक ही है। विधायकों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों के जवाब तय समय सीमा में आये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विधानसभा के अधिकारीगण प्रश्नों के जवाब में आ रही कठिनाइयों को मिलकर दूर करें और समय पर प्रश्नों के जवाब भेजे जाना सुनिश्चित करें। बैठक में सोलहवीं वे पन्द्रहवीं राजस्थान विधानसभा के लम्बित प्रकरणों की 3 जनवरी तक की वस्तु स्थिति का विभागवार प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और राजस्थान विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा और विशिष्ट सहायक के. के.शर्मा मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार देर रात को जयपुर शहर में जरूरतमंद एवं निराश्रितों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने एवं शयन की आवश्यकता से रूकने वाले जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रैन बसेरों में साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखने एवं एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश दिए। शर्मा ने जेएलएन मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित लोगों एवं दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। उन्होंने सभी से आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी और राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग देने के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया। इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्णावट सहित अधिकारी मौजूद रहे।

'कांग्रेस ने पांच साल में जनता का कोई भला नहीं किया'

जयपुर। धोद से भाजपा विधायक गोरधन वर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गरीबों को योजनाओं का लाभ देकर उनका भला कर रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में इन्वेस्टमेंट समिट की जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया। इससे बड़े स्तर पर प्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

विधायक गोरधन वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी फायदा लेने के लिए नए जिले और संभाग बनाए। इनके लिए पर्याप्त बजट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही नए जिले एवं संभागों पर सही फैसला लिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बौखलाहट में अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। पांच वर्ष की कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे।

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक- मु.जो./ननिज/2024/3932
सार्वजनिक सूचना दिनांक:03.01.25
भूखण्ड सं. 63, शिव नगर, (तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व श्री मुरलीधर अग्रवाल को क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि विक्रय पत्र, रजि वसीयतनामा एवं अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से उपविभाजन चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करायें गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के पूर्वी भाग का श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज का उपविभाजन जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के उपविभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उपविभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक- मु.जो./ननिज/2024/3931
सार्वजनिक सूचना दिनांक:03.01.25
भूखण्ड सं. 63, शिव नगर, (तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व श्री मुरलीधर अग्रवाल को क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्रीमती सम्पत्ति पत्नी श्री श्रीराम निर्मल द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि विक्रय पत्र, रजि वसीयतनामा एवं अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से उपविभाजन चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करायें गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के पश्चिमी भाग का श्रीमती सम्पत्ति पत्नी श्री श्रीराम निर्मल के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज का उपविभाजन जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के उपविभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार उपविभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नियमों का पालन न करने वाले वेटेरिनरी कॉलेजों के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही : डॉ.समित शर्मा

जयपुर। शासन सचिवालय के मुख्य सभागार में आज पशु चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य में सुधार की संभावनाओं पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अक्टूबर में इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसी के फॉलोअप में आज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य के पशु चिकित्सा सस्थानों के अधिष्ठाताओं ने अपने कॉलेजों की प्रस्तुति दी।

बैठक के मुख्य अतिथि शासन सचिव पशुपालन गोपालन और डेयरी डॉ समित शर्मा ने प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि आप सबने अपना काम शुरू कर दिया है विश्वास है हम जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। डॉ शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वेटरिनरी कॉलेज को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डॉ शर्मा ने भौतिक और मानव संसाधन के बीच संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्षेत्र में काम कर रहे पशु चिकित्सा अधिकारियों और शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ई नॉलेज बैंक बनाया जा रहा है जिससे कोई भी चिकित्सक अगर कोई सर्जरी कर रहा है और उसे किसी इनपुट की आवश्यकता है तो वह इनपुट उसे ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ उन्होंने हैंड्सऑन ट्रेनिंग को भी उतना ही आवश्यक बताते हुए कहा कि बिना पानी में उतरे कोई व्यक्ति तैरना नहीं सीख सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद के मानदंडों पर काम करते हुए राज्य के पशु चिकित्सा संस्थानों को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाना है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

शासन सचिवालय के मुख्य सभागार में पशु चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य में सुधार की संभावनाओं पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और डेयरी समित शर्मा मौजूद थे।

उन्होंने कॉलेजों में आधुनिक संरचना के विकास पर जोर देते हुए कहा कि हमें एप आधारित पठन पाठन सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसने हमारे भावी पशु चिकित्सकों में उच्च स्तर की व्यावसायिक दक्षता आ सके। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स और एक्सपोजर विजिट होना चाहिए जिससे उनमें और अच्छा काम करने की ललक पैदा होगी। उन्होंने सभी कॉलेजों को सभी प्रकार के उपकरण और औजार की उपलब्धता और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देष दिए और कहा कि कॉलेज के संचालन और विद्यार्थियों के एडमिशन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने मैनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने में मनमानी फीस न लेने के सख्त निर्देष दिए और कहा कि ऐसा होने पर नियमानुसार सख्त कार्यकाही की जायेंगी।

उन्होंने स्पष्ट निर्देष दिये कि सभी कॉलेजों को एमएसवीई निर्देशिका एवं वीसीआई रेगुलेशन, 2016 के अनुसार बॉयोमिट्रिक एटेन्डेंस, अध्यापकों की पारदर्शी सूची, आम जनता के लिए कॉलेज स्थित पशु अस्पतालों का उपयोग आदि का पालन करना होगा अन्यथा नियमानुसार कॉलेजों की एनओसी निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए हमें ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहिए। समस्याएं भी आएंगी पर उन सबका मिलकर सामना करते हुए हम निश्चित रूप से प्रदेश को पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान दिलाने में कामयाब होंगे।

बैठक में शासन उपसचिव संतोष करोल निदेशक पशुपालन डॉ आनंद सेजरा, राजुवास के प्रो वाइस चांसलर डॉ हेमंत दाधीच, राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख गिरफ्तारी वारंट से तलब

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख अब्दुल कामरान, रितिका जैन व आदित्य बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वे गिरफ्तारी वारंट की तामील करवा कर 9 जनवरी तक आयोग को सूचित करें। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश दिनेश कुमार व चांद देवी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने कहा कि सहारा मंडल प्रमुख के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन उनकी तामील अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में आगामी तारीख से पहले वारंट की तामील करवाई जाए।

अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा कि आयोग ने प्रार्थी के पक्ष में 19 जुलाई 2022 को आदेश दिया था। जिसकी पालना में सोसायटी को जमा राशि और आयोग की ओर से लगाया गया हर्जाना तय मियाद में प्रार्थी को देना था, लेकिन विपक्षी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ने आदेश की पालना नहीं की है। ऐसे में सोसायटी के दोषी अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए और प्रार्थी को हर्जाना राशि सहित समस्त बकाया भुगतान दिलाया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सोसायटी के तीनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

प्ररूप-5
(नियम 6(2) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
सं. 2026 **लोक सूचना** दिनांक-03.01.2025
श्री त्रिलोक महलोत पुत्र श्री नारायण महलोत, निवासी ग्राम झाई, पो-भम्भोरिया सांगानेर जयपुर ने नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासीय के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।
अर्थात :-

जिले सहित नगर का नाम	-	ढबेरवाली की ढाणी-जोबनेर जिला जयपुर
ग्राम का नाम	-	ढबेरवाली की ढाणी तहसील जोबनेर जिला जयपुर
खसरा नं.	-	1067/857, 1069/857
क्षेत्र	-	10002 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.01.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी, (अधिशाषी अधिकारी), नगर पालिका जोबनेर

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 433/2024
चूंकि प्रार्थी श्री रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री कल्याण सैनी निवासी माली मौहल्ला, लापोडिया मागरडू, दूदू, जयपुर 303008 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत महिला एवं पर्यावरण विकास संस्थान कार्यालय पता मौजमाबाद जिला दूदू ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.03.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 5842 दिनांक :- 27/12/24
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 67/216 (MIG-B) का आवंटन श्री बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री भोलाराम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 208 दिनांक 24.04.1995 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 12.02.1997 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री बनवारी लाल द्वारा उक्त आवास के प्रथम तल को सुश्री अनिता पुत्री श्री बनवारी लाल को उपहार कर इनके पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 21.05.2019 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री बनवारी लाल एवं सुश्री अनिता द्वारा उक्त आवास को श्री चतुर्भुज यादव पुत्र श्री रामबिलास यादव एवं श्रीमती पिंकी यादव पत्नी श्री चतुर्भुज यादव को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2024 को उप पंजीयक (दशम्) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री चतुर्भुज यादव पुत्र श्री रामबिलास यादव एवं श्रीमती पिंकी यादव पत्नी श्री चतुर्भुज यादव द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्री चतुर्भुज यादव पुत्र श्री रामबिलास यादव एवं श्रीमती पिंकी यादव पत्नी श्री चतुर्भुज यादव का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, रा.आ.म. वृत्त प्रथम, जयपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर जिला सीकर
क्रमांक- दिनांक-
अमिता सिंह उर्फ अमिता शर्मा पुत्री रामेश्वरलाल शर्मा पत्नी गोपाल सिंह जाति बडवा निवासी मक्खनलाल जी सोनी के मकान के सामने कस्बा श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान ससुराल पता ए-20, आदर्श कॉलोनी, शान्ति नगर हटवाडा रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान
...आवेदिका/प्रार्थीया
बनाम
1. हर खास आम,
2. उपकोषाधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना
...अनावेदक
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वास्ते उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
याचिका संख्या 8124 तारीख दर्ज- 24.12.24
इश्तहार
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक रामेश्वरलाल शर्मा पुत्र कुन्दनमल शर्मा जाति बडवा निवासी मक्खनलाल सोनी की हवेली के पास, ठठेरो का मौहल्ला, कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना के नाम सहायक निदेशक पेंशन वेलफेयर विभाग जयपुर द्वारा जारी पीपीओ नम्बर 175776 की (एटीओ) सब ट्रेजरार श्रीमाधोपुर में जमा पेंशन राशि मय ब्याज 15000/- रूपये प्राप्त करने हेतु आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर जमा राशि आवेदिका को दिये जाने हेतु मृतक की वारिसहेतु आवेदन पत्र आवेदिका ने इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, आवेदन की सुनवाई हेतु न्यायालय कीतारीख पेशी 24.02.2025 नियत की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो अपने उज्ञात स्वयं हाजिर होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तारीख पेशी को प्रात 10.00 ए.एम. बजे प्रस्तुत करे उक्त तिथि व समय पर किसी के हाजिर नहीं आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इश्तिहार आज दिनांक 24.12.2024 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
श्रीमाधोपुर जिला सीकर

नाम परिवर्तन

मेरी दसवीं की मार्कशीट में त्रुटिवश मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे दर्ज हो गया जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरानाम अखिलेश पांडे पुत्र श्री शिव मंगल पांडे दर्ज है अत भविष्य में मुझे अखिलेश पांडे पुत्र श्री शिव मंगल पांडे के नाम से जाना जावे। पता 39 सरस्वती विहार, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर

मैंने अपना नाम मनीषा जैन से बदलकर मनीषा चावला जैन (Manisha Chawla Jain) पत्नी मनीकान्त जैन (Manikant Jain) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता-बी-90, जैन मंदिर के पास, नेहरू नगर, जिला जयपुर-302016 राजस्थान

मैं अफाक अहमद (Afaque Ahmad) पुत्र श्री अखलाक अहमद (Akhalaq Ahmad) बी-114 ई, जमनापुरी मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान 302039 यह है कि मैंने आज से अपना नाम बदल कर अफाक अहमद (Afaq Ahmad) पुत्र श्री अखलाक अहमद (Akhlak Ahmad) रख लिया मुझे इस नाम से जाना जावें।

I have changed my name from Sanjay Jaisingh Kachhwaha to Sajay Jai Singh. In the future, I shoud be known by the name Sajay Jai Singh only. add.-HD 202, HIG Block, Pratap Apartment, Pratap Ngar, Sanganer Jaipur, Rajasthan-Mob. 8780687469

I brjesh Kanwar legally wedded spouse of army no 17010363W ex nk late chadrabhan singh R/o Plot 77A Radha residency hathoj jhotwara Jaipur that have changed my name from Brjesh Kanwar is wrong entered in service record to Brijesh Kanwar vide affidavit dated 30 dec. 2024 before district notary Jaipur.

रीको ने प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना मंजूर की

रीको ने स्वीकृत की प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले उद्यमियों को सुगमता से उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि आवंटन हेतु रीको प्रबंधन द्वारा "प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना" स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना में जिन उद्यमियों ने राइजिंग राजस्थान के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी पात्रता को देखते हुये औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे। रीको द्वारा भूखण्ड आवंटित करने के लिए ऑनलाइन पॉर्टल विकसित किया गया है जिस पर उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट- 2024 का आयोजन जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को किया गया था जिसका उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस विश्वस्तरीय आयोजन में देश-विदेश के निवेशकों एवं विभिन्न उद्यमियों ने भाग लिया एवं इस कड़ी में रिकार्ड एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इन एमओयू को धरातल पर लाने, निवेश आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सुविधाएं देने हेतु राज्य सरकार ने एक नीतिगत ढांचा (पॉलिसी फ्रेमवर्क) तैयार विभिन्न नीतियां जारी की, यथा राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 एवं राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी-2024 इत्यादि।

रीको ने भी राज्य मे औद्योगिकीकरण को बढावा एवं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान निष्पादित हुए एमओयू को निवेश में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके अन्तर्गत रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना तैयार स्वीकृत की गई है।

एमओयू निष्पादित कर चुके उद्यमी रीको के चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड की निर्धारित आरक्षित दर पर विभिन्न क्षेत्रफल के अधिकतम तीन भूखण्डों (वरीयता क्रम में) के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं ईएमडी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु उद्यमी अपनी रूचि अनुसार एक ही औद्योगिक क्षेत्र अथवा वरीयता क्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम तीन भूखण्डों के लिए विकल्प दे सकता है।

समस्त आवेदनों का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश, प्रदान किये जाने वाले रोजगार, उत्पादन समय सीमा, उद्योग संचालन का अनुभव, निर्यातोन्मुखी इकाई, वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता एवं टर्नओवर आदि कारकों के आधार पर किया जाएगा। उक्त किये जाने वाले मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम वरीयता क्रम में एक ही भूखण्ड का आवंटन होगा। एमओयू करने वाले उद्यमी/ग्रुप को एक ही भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा।

किसी भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा अधिकतम अंक समान होने की स्थिति में अधिकतम निवेश का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को ऐसे चिन्हित भूखण्ड का आवंटन किया जाएगा। अगर किसी भूखण्ड पर प्रथम वरीयता के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के तहत चिन्हित उपखंड अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर पर रीको द्वारा स्थापित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन ई-लॉटरी के माध्यम से 50 प्रतिशत बिक्री योग्य औद्योगिक भूमि (आरक्षित भूखण्डों सहित) में एमएसएमई जिन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन होगा। इसमें भी उनके द्वारा दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही भूखण्ड आवंटन किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने बताया कि लंबे समय से उद्यमियों की मांग थी कि रीको को सिर्फ ई-नीलामी के स्थान पर प्रत्यक्ष आवंटन भी किये जाने चाहिये ताकि उचित कीमत पर भूमि उपलब्ध हो सके। राजस्थान सरकार ने भी इस पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए इस संबंध में दिशानिर्देश दिए। तत्पश्चात् रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना तैयार की है जिससे ना सिर्फ किफायती कीमत पर अपितु वास्तविक उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटित हो सकेंगे। इस योजना से उद्यमियों को यह भी फायदा होगा कि भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया में समय की बचत होगी तथा उद्यमी अपनी परियोजना शीघ्र ही स्थापित कर सकेंगे। निवेश आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सहूलियत देने की दिशा में राज्य सरकार की यह नई एवं सकारात्मक पहल है।

रीको के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भूखण्डों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता एवं पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा जिसके लिए ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। योजना से संबंधित गाइडलाईन तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ रीको की इकाई कार्यालयों को भी प्रत्यक्ष आवंटन योजना एवं गाइडलाईन से अवगत करा दिया गया है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन का निपटान एक निश्चित समय सीमा में हो सकेगा।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI
विज्ञापन नहीं। आर एंड पी/310/2024 **दिनांक-28.11.2024**
परीक्षा नियंत्रक के एक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता और सफलता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले पात्र और अत्यधिक प्रेरित उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा नियंत्रक का पद VII CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान स्तर 14 है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर है। विवरण के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएँ और "डीयू के साथ काम करें" शीर्षक के अंतर्गत "नौकरियाँ और अवसर" पर क्लिक करें। कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा।
सीबीसी-21231/12/0019/2425 **रजिस्ट्रार**